

(Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(6)11/2005-II,
Dated 7th June, 2013 as required under Article 348(3) of the Constitution of India)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF FORESTS

No. FFE-B-F(6)-11/2005-II/ Simbalbara Dated Shimla-2, the 7th June, 2013

NOTIFICATION

Whereas a Notification under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) was issued vide Government Notification No. FFE-B-F(6)27/99 dated 1.11.99, to declare **Simbalbara as Wildlife Sanctuary** comprising an area of 19.00 Sq.Km;

And whereas, the matter with regard to rationalization of the Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh was under consideration of the Hon'ble Supreme Court in IA No. 139/2010 in Writ Petition Civil No. 337 of 1995 titled Centre for Environmental Law, WWF-I Versus Union of India & Others;

And whereas, in pursuance to the Hon'ble Supreme Court order dated 7th May 2010, the State Government issued intention Notifications under Section 18 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, in respect of the Wildlife Sanctuaries and National Parks for which rationalization had been proposed;

And whereas, intention Notification under section 35 (1) of the Wildlife (Protection) Act, 1972 was issued vide Notification No. FFE-B-F(6)-11/2005 dated 28th July 2010, to constitute an area of 27.88 sq. km as Simbalbara National Park by including an area of 8.88 sq. km to the existing Simbalbara Wildlife Sanctuary area of 19.00 sq. km;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 05/08/2011, further directed the State Government to follow the procedure laid down under Section 18 to 26A and 35 of the Wildlife (Protection) Act, 1972, before issuance of final

Notifications under Section 26A of the Wildlife (Protection) Act 1972, which procedure was duly followed;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide order dated 01/02/2013 passed in IA No. 155 (earlier IA No. 139/2010), has permitted the State Government to issue final Notifications under Sections 26A, 35(4) & 36A of the Wildlife (Protection) Act, 1972, with regard to the proposed rationalization of boundaries of Wildlife Sanctuaries and National Parks in Himachal Pradesh;

And whereas, as a consequence of rationalization of boundaries of Simbalbara Wildlife Sanctuary, an additional area of 8.88 sq. km is hereby included. The total area of 27.88 sq. km (19.00 sq. km + 8.88 sq. km) is also upgraded from Simbalbara Wildlife Sanctuary into a National Park after rationalization;

Now, therefore, the Governor Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in her under Section 35 (4) of the Act ibid is pleased to declare the aforesaid area of 27.88 sq. km as '**Simbalbara National Park**' with immediate effect for the purpose of protecting, propagating and developing wildlife and its environment;

The limits of the Simbalwara National Park shall be as under:

Sr. No.	Name of National Park.	Constituents	Boundaries of Simbalbara National Park
1.	Simbalbara National Park	i) District ii) Forest Division i) Sirmaur ii) Shimla (WL) & Paonta Divisions	NORTH: Main Shivalik ridge of existing Simbalbara Wildlife Sanctuary upto compartment No. 3 of Kata Pathar. EAST: Compartment Nos. 3,4,5,6,7 of RF Kata Pathar- Khalli marked with single ring around trees at d.b.h. and compartment No. 2 of Kataphather, C-7 Paniwali khalli with rings (Painted) around the trees at d.b.h, Compartment Nos

			<p>1,6,10,14,17,18,19 (part) of RF Guttanpur C-1-Khali bifurcated from sampon wali khali marked with single painted rings around trees at d.b.h, C-6 Khalli and ridge marked with single rings around trees above d.b.h., C-10,14 & 19 Compartment Nos 1,2,8 of RF Kothiwali C-2 & 8 Khalli marked with single ring around trees at above d.b.h, Compartment No. 3,5,6,7,8,9,10 of RF Mastali- Sattiwala village and Yamunanagar road Compartment No. 1,2 & 3 of Ambwali- Ambwali Khalli with rings around trees.</p> <p>SOUTH: Last point of Marusidh Reserve Forest of existing WLS (Marusidh Mazaar) alongwith Haryana border along the boundary of Kalesar National Park of Haryana Government Forests upto Ambwali RF C.3.</p> <p>WEST: Boundary line between Himachal and Haryana, and as per existing boundary of Simbalbara.</p> <p>Boundary as per scale 1:15000</p>
--	--	--	---

This area is situated within the Geo co-ordinates **North** 30°28'13"N & 77°28'43"E, **East** 30°24'15"N & 77°33'55"E, **South** 30°23'31"N & 77°33'44"E and **West** 30°27'26"N & 77°27'40"E Survey sheet No. 53F/7 & 53F/11 Scale 1:50,000.

Area of Simbalbara National Park = 27.88 sq. km

By Order


Principal Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No As above
Copy forwarded to:-

Dated Shimla-2 the 7th June, 2013

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla-2.
2. All the Divisional Commissioners, Shimla, Mandi & Dharamshala, H.P.
3. All the Heads of Departments of H.P.

4. The Principal Chief Conservator of Forests, H.P. Shimla-1
5. The Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife) H.P. Shimla-1.
6. All CCFs / DFOs (Wildlife) in H.P.
7. All the Deputy Commissioners in H.P.
8. All the CCFs/CFs /DFOs in H.P.
9. ALR-cum- Under Secretary Law to the Government of Himachal Pradesh.
10. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla.
11. The Controller H.P. Printing & Stationary Department Shimla-5 for publication in the Raj-Patra (Extra-ordinary) Five Copies of the Raj-Patra be sent to this Department.
12. Guard File.



Under Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ.(6)-11/2005-II सिम्बलबाड़ा तारीख शिमला-2 7 जून, 2013

अधिसूचना

सरकार ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 26क के अधीन अधिसूचना संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ.(6)-27/99 तारीख 1-11-1999 द्वारा 19.00 वर्ग किलोमीटर से समाविष्ट क्षेत्र **सिम्बलबाड़ा** को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में घोषित करने की अधिसूचना जारी की थी;

और हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों के युक्तिकरण की बाबत मामला आईए न० 139/2010 इन रिट पिटिशन सिविल न० 337 ऑफ 1995 नामतः सेन्टर फॉर एनवारनमेंटल लॉ, डबल्यू डबल्यू एफ-I बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदजर्ज में माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 7 मई, 2010 के अनुसरण में राज्य सरकार ने वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय पार्कों, जिनके लिए युक्तिकरण प्रस्तावित किया गया था, की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 के अधीन आशय अधिसूचनाएं जारी की थी;

और अधिसूचना संख्या: एफ.एफ.ई.-बी-एफ.(6)11/2005 तारीख 28 जुलाई, 2010 द्वारा सिम्बलबाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य में विद्यमान 8.88 वर्ग किलोमीटर का अतिरिक्त क्षेत्र सम्मिलित करने के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 35(1) के अधीन आशय 27.88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सिम्बलबाड़ा राष्ट्रीय पार्क के रूप में गठित करने के आषय की अधिसूचना जारी की गई थी;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तारीख 5-8-2011 द्वारा, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 26क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने से पूर्व वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 से 26क और 35 के अधीन अधिकथित

प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए भी राज्य सरकार को निर्देश दिए गए, जिस प्रक्रिया का सम्यक् रूप से अनुसरण किया गया था;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने आईए न० 155 (पहले आईए न० 139/2010) में पारित आदेश तारीख 1-2-2013 द्वारा, राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्यो और राष्ट्रीय पार्कों की सीमाओं के प्रस्तावित युक्तिकरण की बाबत वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 18 से 26क, 35(4) एवं 36क के अधीन अन्तिम अधिसूचनाएं जारी करने को अनुमत किया है;

और सिम्बलबाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाओं के युक्तिकरण के परिणामस्वरूप 8.88 वर्ग किलोमीटर का अतिरिक्त क्षेत्र एतद्वारा सम्मिलित किया जाता है । युक्तिकरण के पश्चात् 27.88 वर्ग किलोमीटर (19.00 वर्ग किलोमीटर + 8.88 वर्ग किलोमीटर) के कुल क्षेत्र वाले वन्य जीव अभ्यारण्य से राष्ट्रीय पार्क के रूप में भी उन्नत (अपग्रेड) किया जाता है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 35(4) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वन्य जीव और इसके पर्यावरण के संरक्षण, प्रसारण या विकसित करने के प्रयोजन के लिए, 27.88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तुरन्त प्रभाव से सिम्बलबाड़ा राष्ट्रीय पार्क घोषित करती हैं।

सिम्बलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क की सीमाएं निम्न प्रकार से होंगी:

क्रम संख्या	राष्ट्रीय उद्यान का नाम	घटक i) जिला ii) वन मण्डल	सिम्बलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की सीमाएं।
1	सिम्बलबाड़ा	i) सिरमौर ii) शिमला (वन्य जीव) मण्डल एवं पौन्डा मण्डल	उत्तर: वर्तमान सिम्बलवाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य की मुख्य शिवालिक रिज के साथ जंगल कटा पत्थर के कम्पाटमेंट न० 3 तक । पूर्व: आरक्षित वन कटा पत्थर खाली के कम्पाटमेंट न० 3, 4, 5, 6, 7, कटा पत्थर कम्पाटमेंट न० 2. पानीवाली खाली कम्पाटमेंट न० 7 आरक्षित वन गुट्टनपुर के कम्पाटमेंट न० 1, 6, 10, 14, 17, 18, 19, (खण्ड), खाली कम्पाटमेंट न० 1 जो साम्पोन वाली खली से अलग हुआ है खाली कम्पाटमेंट न० 6, तथा

			<p>धार जहाँ वृक्षों पर एक गोले निशान लगा है कम्पाटमेंट नं० 10,14 और 19 आरक्षित वन कोटीवाली के कम्पाटमेंट नं० 1,2,8, खाली के कम्पाटमेंट नं० 2 और 8, आरक्षित वन मसताली सतिवाला गांव के कम्पाटमेंट नं० 3,5,6,7,8,9, व 10, व यमुनानगर सडक अम्बवाली खाली के कम्पाटमेंट नं० 1,2,3 तक जहाँ पेडों पर गोले लगे हैं ।</p> <p>दक्षिण : आरक्षित वन मारूसिध के अंतिम बिन्दू (मारूसिध मजार) से हरियाणा व हरियाणा सरकार के कलैसर राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के साथ-साथ आरक्षित वन अम्बुआली के कम्पाटमेंट नं० 3 तक राष्ट्रीय उद्यान की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ है ।</p> <p>पश्चिम: राष्ट्रीय उद्यान की सीमा वर्तमान सिम्बलवाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा रेखा और हिमाचल व हरियाणा राज्यों की सीमा रेखा है ।</p> <p>सीमा पैमाना 1:15,000</p>
--	--	--	---

इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति: उत्तर अक्षांश 30° 28' 13" उत्तर और देशान्तर 77° 28' 43" पूर्व । पूर्व अक्षांश 30° 24' 15" उत्तर और देशान्तर 77° 33' 55" पूर्व । दक्षिण अक्षांश 30° 23' 31" उत्तर और देशान्तर 77° 33' 44" पूर्व और पश्चिम अक्षांश 30° 27' 26" उत्तर और देशान्तर 77° 27' 40" पूर्व यह क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपो शीट नम्बर 53एफ/7 और 53एफ/11, (पैमाना 1:50,000) पर दर्शाया गया है ।

क्षेत्रफल: 27.88 वर्ग कि०मी०

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।


पृष्ठांकन संख्या: यथोपरि।

दिनांक शिमला-2,

7 जून, 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश-शिमला-2
2. सभी मण्डलायुक्त, शिमला, मण्डी व धर्मशाला मण्डल हिमाचल प्रदेश ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
4. प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश शिमला-1
5. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश-शिमला-1
6. समस्त मुख्य अरण्यपाल / वनमण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी) हिमाचल प्रदेश ।
7. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
8. समस्त मुख्य अरण्यपाल / अरण्यपाल / वनमण्डलाधिकारी, (क्षेत्रीय) हिमाचल प्रदेश ।
9. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
10. आयुक्त नगर निगम शिमला हिमाचल प्रदेश ।
11. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-5 को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु । कृपया इसकी पांच अतिरिक्त प्रतियां छापी जावें ।
12. गार्ड फाइल ।


अवर सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।